सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 144/14 **निर्णय दिनांकः 16.03.2018**

1. पूर्णसिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एमडी तहसील अपूनगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल चक 5 केएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. ओमप्रकाश पुत्र नवलाराम जाति हरिजन निवासी लोरता तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24—12—2013
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवला के आदेश दिनांक 24—12—2013 जिसके द्वारा अपीलांट को मिडियम पेच में आवंटित रकबा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बहाल किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके चक 5 ए.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 170/14 किला

नम्बर 9 ता 15, 17 ता 23 तादादी 14 बीघा भूमि आराजीराज होने पर मिडियमपेच आवंटन हेतु प्रस्तावित था तथा इसी मुरब्बे के किला नम्बर 1 ता 8 में अपीलांट की खातेदारी भूमि रही है। इसलिए अपीलांट उक्त मुरब्बे की 14 बीघा भूमि जिसमें से 1 बीघा कमाण्ड तथा 13 बीघा अनकमाण्ड भूमि को मिडियम पेच में आवंटन कराने हेतु दिनांक 13—08—2013 को आवेदन पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर तत्कालीन तहसीलदार से दिनांक 30—08—2013 को रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट में वादगत् भूमि केा आराजीराज दर्शाते हुए नियमानुसार सभी संबंधित व चिपते काश्तकारों की वरियता का निर्धारण करते हुए वादगत् भूमि को मिडियम पेच आवंटन के योग्य पाये जाने पर व अपीलांट की इसी मुरब्बें में के किला नम्बर 1 ता 8 में तादादी 8 बीघा भूमि व किला नम्बर 16, 24, 25 तादादी 3 बीघा भूमि अपीलांट के पुत्र गुरमेलसिंह की बताई गई व अन्य पड़ौसी अर्जुनराम व रतनाराम की चिपते मुरब्बा नम्बर 170/15 में भूमि होना अंकित किया गया व गुरमेलसिंह ने अपीलांट के पक्ष में आवंटन बाबत् सहमति पत्र लिख कर प्रस्तुत करने पर एक मात्र आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति अपीलांट के पक्ष में दिनांक बतौर मिडियम पेच आवंटन दिनांक 08—05—2015 को कर दिया गया जिसकी प्रथम किश्त अपीलांट द्वारा जरिये चालान राशि 50,700/— जमा करवाई जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने पटवारी हल्का के पास गया तो बताया कि उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बहाल कर दिया गया है जिसका नामान्तरणकरण संख्या 76 दिनांक 22—04—2014 से स्वीकृत है। जबकि उक्त रकबा आज दिनांक तक अपीलांट के कब्जे काश्त में है। अदालत मातहत द्वारा बिना मौका की जॉच किये किश्तों के अभाव में खारिज रकबे को पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उक्त रकबा दिनांक 30—01—1985 को आवंटित किया गया था जिसकी जानकारी उसे वर्ष 1993 में हुई। चूंकि अपीलांट बीमारी से ग्रस्त था इसलिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। अब आवंटित भूमि की बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है अतः रकबा पुनः बहाल किया जावे। रेस्पोडेन्ट

के उक्त कथन से स्पष्ट है कि वे कभी भी मौके पर नहीं आये है ना ही उसे आवंटन की जानकारी थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि सिवायचक होने के कारण अपीलांट को बतौर मिडियमपेच आवंटन की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित रकबा दिनांक 27—03—1998 को किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रकबा बहाल किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था उसे अपील के माध्यम से ही बहाल किया जा सकता था। अदालत मातहत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के आवंटन के समय तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी ऐसी स्थिति में अपीलांट को वादगत् भूमि के शुद्व रूप से आराजीराज होने व वादगत् भूमि अपीलांट के धारण के मुरब्बें में ही निहित होने के कारण आवंटित की गई है जो विधि अनुसार व न्यायसंगत है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 24—12—2013 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किश्तों के अभाव में खारिजशुदा रकबा पुनः बहाल किया गया है निरस्त/खारिज किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने कथन किया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को बतौर भूमिहीन दिनांक 30—01—1985 को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन की रेस्पोडेन्ट केा कभी जानकारी नहीं हुई। उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 18—10—1993 को आवंटन आदेश की प्रति लेने पर हुई। चूंकि रेस्पोडेन्ट हरिजन जाति का गरीब काश्तकार है तथा तत्समय वह कीडीनगरे की बीमारी से ग्रस्ति था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के पत्र क्रमांक 4299 दिनांक 02—09—1994 की पालना में उपस्थित नहीं हो पाया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त मौका रिपोर्ट में वादगत् भूमि को शुद्व रूप से आराजीराज बताते हुए रकबा मौके पर खाली बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् बकाया समस्त राशि एकमुश्त जमा

कराने के आदेश प्रदान करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रकबा बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24—12—2013 को ही वादगत् भूमि बहाल कर दी गई थी तथा वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 76 दिनांक 22—04—2014 दर्ज किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अपीलांट के मिडियम पेच आवंटन दिनांक 08—05—2015 को उक्त आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं था तथा उक्त दिनांक को रकबा आक्यूपाईड लैण्ड व आवंटनशुदा रकबा होने बतौर मिडियम पेच आवंटन नहीं किया जा सकता था। संबंधित पटवारी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गलत रिपोर्ट/ तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि अपीलांट का बतौर मिडियम पेच आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है जबकि अपीलांट का मूल आवंटन वर्ष 1985 का है तथा वर्ष 2013 में उक्त आवंटन अदालत मातहत द्वारा बहाल किया जा चुका है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्ववर्ती आवंटन है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब कोई भूमि पूर्व में आवंटित हो चुकी है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती आवंटन शून्य व एबईनिशियोवाईड आवंटन की श्रेणी के आवंटन है। चूंकि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन हरिजन जारी के व्यक्ति को आवंटित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि एससी कटेगिरी में होने के कारण सामान्य जाति के व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को दिनांक 30—01—1985 को किये गये आवंटन जो कि दिनांक 27—03—1998 को किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका था को पुनः बहाल किया गया है। उक्त आवंटन को बहाल किये जाने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट व वादगत् भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में उपखण्ड

अधिकारी द्वारा यह सूचना भी चाही गई थी कि वादगत् भूमि प्रार्थी के नाम किस वर्ष से किस वर्ष तक अभिलेख में अंकित रही, आवंटन खारिज होने पर आराजीराज होने की प्रविष्टी का वर्ष, सैल रजिस्टर में प्रार्थी का खाता खुला हुआ है अथवा नहीं? यदि हॉ तो कितनी राशि जमा है?, सैल रजिस्टर के अनुसार अन्तिम बार कब राशि जमा हुई? सैल रजिस्टर में खाता प्रमाणित है अथवा नहीं?

(2) संबंधित तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में यह तो अंकित कर दिया गया कि वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज है व रकबे पर कोई स्थगन आदेश नहीं है रकबे पर कोई खनन कार्य नहीं होता है व रकबा मौके पर खाली है, परन्तु संबंधित पटवारी द्वारा सैल रजिस्टर के बाबत् व पूर्व में कितनी किश्तें रेस्पोडेन्ट द्वारा जमा करवाई जा चुकी है इस बाबत् कोई टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं की गई है। जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसे उक्त आवंटन की जानकारी सर्वप्रथम 18—01—1993 को प्राप्त हुई व बावजूद सूचना व न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया।

(3) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का किश्तों के अभाव में खारिजशुदा आवंटन किस नियम व परिपत्र के अनुसरण में पुनः बहाल किया गया है इसका कोई हवाला अपने आदेश में नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट से बकाया राशि का निर्धारण किस प्रकार किया गया है बकाया राशि पर ब्याज आदि लिया जाना है अथवा नहीं? इस बाबत् भी कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश उचित व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(4) प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक अपीलांट को वादगत् भूमि बतौर मिडियम पेच आवंटित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत मिडियम पेच आवंटन के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया है किः—

- 14A discussing of Medium Patch

(i) Notwithstanding anything fo the contrary contained in these rules Medium Patch of govt. land may be alloted to the tenure tenant whose tenure lond adjoins such medium patch subject to ceiling area.

(ii) provided that if the tenant of the adjoining land fail to apply for the allotment of Medium patch the alloting authority may allot such medium patch of the tenure tenants of the same chack or of the adjoining chack subject to the ceiling area.

(iii) in the present case petitioner did not prove his continuous possession of land by evidence and his cultivated land was not adjacent of his any other land. so he was not found entitled for allotment of land in question. Meaning of the word adjecent and adjoining-Distinction:

(a) **adjecent** mean laying near or next to;
(b) **adjoining** mean "to join on" , to lie next to and to be in contest

It is correct to say that under subrule(5)(C) it is not necesary that the land to be alloted need not adjoin the land of the applicant, but where the two land are quite distant from each other than no preferential allotment can be made. There is nothing wrong in cancelling the application of appelant on a preferencial basis.

Rule 18, Issue of notice of sale by auction - notice should be published (Public notice) given in form XIII giving full detail of the land to be soled by sealed bid. number of chack, murabba, killa and the date and place of auction.

rule 21 - cancellation of allotement- if at any time it is discovered that any allotment of govt. land was made under these rules upon an incorrect statment of facts made in application or in affidavit or any other documents produced by an allottee the alloting autority, may order cancellation of such allotment.

–आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन अनियमितता बरतते हुए किया गया है– चाहे उक्त आवंटन कितना भी व्यवहारिक व सदेच्छा से किया गया हो। प्रस्तुत मामलें में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के साथ–साथ अन्य काश्तकारों यथा गुरमेल सिंह पुत्र पूर्णसिंह, अर्जुन पुत्र भादरराम, रतनाराम, सुभाष पुत्रगण रूपाराम आदि की वरियता का निर्धारण किया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित करते हुए कि गुरमेलसिंह पुत्र पूर्णसिंह ने प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में सहमति पत्र दिया है, जबकि अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये जाने बाबत् व उनकी सहमति अथवा अनापत्ति के बारे में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। इस प्रकार उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित व दुराभिसंधि को प्रकट करता है।

(5) प्रकरण में एक ही अधिकारी के समक्ष पटवारी द्वारा एक ही मुरब्बें के संबंध में दो अलग–अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्टो के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1

का भूमिहीन रकबा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बहाल किया गया व तत्पश्चात् उसी पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पुनः करीब पॉच माह पश्चात् उक्त रकबा आवंटन नियमों के विपरीत जाकर बतौर मिडियमपेच में आवंटित कर दिया गया है। इस प्रकार संबंधित पटवारी द्वारा अधिकारियों को गुमराह करते हुए भिन्न–भिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा यह निष्कर्षित हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय को जैर आवंटन आदेश से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार करना थाः–

(अ) तीन समान वरियता के आवेदकों की बीच भूमि की निलामी की जानी आवश्यक थी।
(ब) यदि एक को छोड़कर अपीलांट व शेष दो आवेदकों के बीच अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली लगानी थी।
(स) यदि ऐसा संभव नहीं होता या भूमि की डीएलसी दर व बाजार दर से अन्तर था तो बोली विज्ञाप्ति कर पड़ौसी चक के या एडज्योनिंग ब्लॉक के खातेदारों को बोली में शामिल होने हेतु आमंत्रित करना था।
(द) सभी मामलों में राजहित देखना आवश्यक था।
(य) भूमि को अनियमित रूप से केवल मात्र अपीलांट के पक्ष में आवंटित किया जाकर सम्पूर्ण आवंटनप्रक्रिया को दुषित नहीं करना था यह न्यायेत्तर कार्य की श्रेणी में आता है जो वांछनीय नहीं था।

(6) प्रश्न यह नहीं है कि भूमि की डीएससी दर से उच्च दरों पर भूमि का आवंटन किया गया या नहीं? अपितु यह है कि उक्त कार्य न्यायपूर्ण व पारदर्शिता से किया गया या नहीं?

(7) आवंटन अधिकारी का कार्य भले ही सद्भाविक हो किन्तु वह न्याय की दृष्टि से अधिकार ब्राह होने से नियम विरूद्व व अपारदर्शी श्रेणी का है। उपखण्ड अधिकारी का उक्त कृत्य अधिकार ब्राह था– उनका कृत्य भूमि की निलामी कर अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में निलामी करना था व अधिकतम व्यवहार्य मूल्य राजहित में प्राप्त करना था।

सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी व न्यायपूर्ण रखना था। यदि निलामी कम आ रही थी तो आवदकों के लक्ष्य समूह अर्थात एडज्योनिंग खातेदारों की पहुॅच सुनिश्चित करनी थी। उन्हें पक्षकारों के बीच समझौतापरक निर्णय पर पहुॅचने के बजाय जिला कलेक्टर को सकारण लेखबद्व रूप से सूचित करना था कि कोई भी आदेश से पूर्व पुष्टि करानी थी।

अर्थात आवंटन अधिकारी भले ही सद्भाव से राजहित में यह कार्य कर रहा हो किन्तु इस प्रकार का आवंटन को अनुमत करने या ना करने एवं उसकी पुष्टि करने या ना करने का अधिकार उन्हें नहीं था उनका कार्य केवल पारदर्शिता से सीलबिड कराना था।

(9) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत अर्थात एक ही पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 24—12—2013 को रेस्पोडेन्ट के भूमिहीन आवंटन को जोकि दिनांक 27—03—1998 को किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका था, उक्त खारिजशुदा आवंटन पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बहाल किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का किश्तों के अभाव में खारिजशुदा आवंटन किस नियम व परिपत्र के अनुसरण में पुनः बहाल किया गया है इसका कोई हवाला अपने आदेश में नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट से बकाया राशि का निर्धारण किस प्रकार किया गया है बकाया राशि पर ब्याज आदि लिया गया है अथवा नहीं? इस बाबत् भी कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामलें में पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को बहाल किये जाने के **करीब 5 माह पश्चात् उसी वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को मिडियम पेच के तहत किया गया है।** अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन भी आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए वादगत् भूमि के चिपते अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मिडियम पेच हेतु निर्धारित आवंटन नियमों के विपरीत जाकर केवल मात्र गुरमेलसिंह पुत्र पूर्णसिंह की सहमति के आधार पर नियम विरूद्व आवंटन किया जाना साबित है।

इस प्रकार प्रस्तुत मामलें में राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की अवधानता व लापरवाही के कारण परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई है। एक तरफ तो पीठासीन अधिकारी द्वारा किश्तों के अभाव में खारिजशुदा आवंटन को बहाल किया जाता है उसी भूमि को पुनः पॉच माह उपरान्त अपीलांट को मिडिलपेच में आवंटन किया जाता है इस प्रकार अदालत मातहत अर्थात एक ही पीठासीन अधिकारी द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में भिन्न—भिन्न व अधूरी पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किये गये दोनों आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत किये जाने साबित है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से पक्षकारों व आमजन को अनावश्यक रूप से आर्थिक व मानसिक संताप का सामना करना पड़ता व अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ता है। इसप्रकार के कृत्य से ही आमजन में न्यायालयों के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में अपीलांट का बतौर मिडियम पेच आवंटन दिनांक 08—05—2014 निरस्त किये जाता है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन बहाली के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को निर्देशित किया जाता है कि किश्तों के अभाव में खारिज आवंटन को बहाल किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों/परिपत्रों का अपने निर्णय में हवाला देते हुए व उक्त परित्रों के अनुसरण में नियमानुसार ब्याज राशि की गणना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रेषित की जावे कि वह संबंधित पटवारी के खिलाफ उसके द्वारा किये गये कृत्य के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लावें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर